फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

नन्दकिशोर बनाम सुखराम वगै0

केस संख्या : दावा 24 / 2023

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	13.10.2023	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उपस्थित / पत्रावली आवेदन अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 उपनियम 1 व 2 सीपीसी के आदेश हेतु नियत है। दौराने बहस उभयपक्ष के कथनों व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में अंकित भूमि वाके ग्राम मोटू का बास पटवार हल्का नांगल पुरोहित, भू–अभिलेख क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर खसरा नम्बर 20 / 694 रकबा 0.6400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 929 / 20 रकबा 0.2550 हैक्टेयर खसरा नम्बर 931 / 74 रकबा 0.3100 हैक्टेयर एव खसरा नम्बर 933 / 75 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 1.2850 हैक्टेयर वादी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 928 / 20 खसरा नम्बर 932 / 75 तथा 930 / 74 वाके ग्राम मोटू का बास पटवार हल्का नांगल पुरोहित, भू–अभिलेख क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर प्रतिवादी संख्या–1 की भूमि है। वाद पत्र में वादी ने व जवाब दावे में प्रतिवादी ने एक दूसरे को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा है। तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने भी वाद में सहमती का जवाब पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत वाद को वादी व प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों व न्यायहित में वादी व प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे की खातेदारी / जमाबंदी में अंकित भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप ना तो स्वयं करेंगे ना ही किसी अपने एजेन्ट अथवा सर्वेण्ट से करवायेंगे। ना ही एक दूसरे की भूमि की सीमाओं में अतिक्रमण करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

जयपुर

विशेष

न्यायालय सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या 24/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक – 05.04.2023

नंद किशोर कुलदीप पुत्र श्री पेमाराम, जाति [illegible] निवासी [illegible] चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. सुखराम पुत्र स्व. श्री भैरूराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील [illegible] जिला जयपुर।

............प्रतिवादी

2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी, उप तहसील [illegible] डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............प्रारूपिक प्रतिवादी

स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत

धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.10.2023

वाद पत्र में अंकित भूमि वाके ग्राम मोठू का बास पटवार हल्का मांगल पुरोहित, भू–अभिलेख क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 20/694 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 929/20 रकबा 0.2560 हैक्टेयर, खसरा नंबर 930/74 रकबा 0.3[illegible] खसरा नंबर 932/75 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता [illegible] कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर वादी की भूमि है तथा वाके ग्राम मोठू का बास पटवार हल्का मांगल पुरोहित, भू–अभिलेख क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर [illegible] खसरा नंबर 928/20, 932/75 एवं 930/74 प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] प्रार्थना पत्र आर्डर 12 रूल 6 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत वाद [illegible] प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों व न्यायहित में वादी व प्रतिवादी [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि [illegible] अंकित भूमि की [illegible] में दखलंदाजी ना [illegible]

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

अथवा सर्वेंट से करवायेगें। ना ही एक–दूसरे की भूमि की सीमाओं में [illegible] करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 13.10.2023 [illegible] किया ।

दस्तखत ———

ओहदा ———

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुद्दइ	रुपये	पैसे	मुद्दाअलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत	
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील	
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बवत् इजराय हुक्मनामा			बवत् इजराय हुक्मनामा	
मुतफरित	4 रुपये		मुतफरित	4 रुपये
मीजान			मीजान	